



Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University, Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

राजेश कुमार यादव
हिंदी अधिकारी / प्रकाशन प्रभारी
RAJESH KUMAR YADAV
HINDI OFFICER & PUBLICATION INCHARGE

Phone/Fax: +91-7152-232943
Mob. No.07588248043

क्रमांक:0037 / 2015 / 31 / रा.भा. /
दिनांक: 11.08.2015

परिपत्र

भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में रबड़ की मोहरें, सील अनिवार्य रूप से द्विभाषी होनी चाहिए। केवल हिंदी या केवल अंग्रेजी में बनी रबड़ की मोहरें या सील का प्रयोग किसी भी स्थिति में न होने पाए। सक्षम अधिकारी के संज्ञान में आया है कि विश्वविद्यालय के कुछ विभाग/अनुभाग व कार्यालय अभी भी केवल हिंदी या अंग्रेजी में बनी रबड़ की मोहरें/सील का प्रयोग कर रहे हैं। यह राजभाषा नियमों का उल्लंघन है।

अतः सभी संकायाध्यक्षों/विभागाध्यक्षों/केंद्र प्रमुखों/कार्यालय प्रमुखों को सूचित किया जाता है कि इस निर्देश का अनुपालन करते हुए मोहरें/सील निम्न नमूने के अनुसार अनिवार्य रूप से द्विभाषी में ही बनाना सुनिश्चित करें :

अध्यापक/DEAN
भाषा विद्यापीठ/SCHOOL OF LANGUAGE
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा
M. G. A. Hindi Vishwavidyalaya, WARDHA

अध्यक्ष/HEAD
भाषा प्रौद्योगिकी विभाग/DEPT. OF LANGUAGE TECH.
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा
M. G. A. Hindi Vishwavidyalaya, WARDHA

निदेशक/Director
भारतीय एवं विदेशी भाषा प्रगत अध्ययन केंद्र/CASIFL
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा
M. G. A. Hindi Vishwavidyalaya, WARDHA

यह परिपत्र सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार जारी किया जाता है।


(हिंदी अधिकारी)

प्रति,
समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/केंद्र प्रमुख/कार्यालय प्रमुख

प्रतिलिपि :

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति कार्यालय
3. कुलसचिव कार्यालय
4. विश्वविद्यालय वेबसाइट
5. संबंधित पत्रावली